दिनांक: 14.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड ट्राली चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर ट्राली चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 ट्राली, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व अवैध अस्लाह कारतूस बरामद

बरामदगी-

- 02 ट्राली
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा / 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 महिन्द्रा 575 ट्रैक्टर (घटना मे प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि दिनांक 05-01-2024 को वादी उत्तम सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम हरडेकी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर की गाँव के बाहर उसके भाई के खाली प्लाट में खडी ट्राली को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 10/2024 धारा 379 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर ट्राली चोरी की घटना का सफल अनावरण व इसमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा बडगाँव सहारनपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैंकिग की जा रही थी। तभी बडंगाँव की तरफ से ट्रैक्टर ट्राली पर 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये जिनको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। मल्हीपुर अण्डरपास के पास पुलिस को देखकर उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर एक अभियुक्त **फिरोज पुत्र अनीस निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । जिसके 02 अन्य साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। फरार अभियुक्तो की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गयी ट्राली, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर महिन्द्रा 575, 01 तमंचा 315 बोर,01 खोखा कारतूस / 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व मु0अ0सं0 105/2024 धारा 379 IPC थाना नागल जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित चोरी गयी ट्राली बरामद की गयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/414 भादिव की वृद्धि की गयी व थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 145/2024 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज उपरोक्त ने बताया कि मैं अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर घरो के बाहर व रास्तो में खुले स्थान पर खड़ी ट्राली की रेकी कर मौका मिलने पर उन्हें चोरी कर लेते थे। माह जनवरी में हम तीनो ने ग्रम हरडेकी से घेर में खडी एक ट्राली नीले रंग की को अपने ट्रैक्टर में लगाकर चोरी की थी तथा 15 दिन बाद

गाँव नन्दपुर से 01 ट्राली चोरी की थी। आज हम तीनो इन दोनो ट्रोलियो को बेचने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया व मेरे दो अन्य साथी मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फिरोज पुत्र अनीस निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामदगी

- 02 ट्राली
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस
- 01 महिन्द्रा 575 ट्रैक्टर (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 054/19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 055/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 140/19 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4.मु0अ0सं0 195/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नागल जिला सहारनपुर
5.मु0अ0सं0 196/2019 धारा 414/465 भादवि थाना नागल जिला सहारनपुर
6.मु0अ0सं0 246/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2.उ0नि0 जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3.उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4.उ0नि0 पंकज मिश्रा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
5.का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी स्कूटी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

बरामदगी-

- **01 एक्टीवा स्कूटी**
- **01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)**

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2024 को वादी अमन कुमार पुत्र सियाराम निवासी एफ-12 ऑफिसर कॉलोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वादीकी एक्टीवा स्कूटी लूटने के संबंध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0- 143/2024 धारा 392भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर लूट की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 03 शातिर लूटेरे अभियुक्तगण **1.आशुतोष पुत्र ऋषिपाल 2.शुभम पुत्र सेहतपाल 3. सीटू पुत्र नरेन्द्र उर्फ रीटू निवासीगण ग्राम देहरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को भांकला रेलवे अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूटी गयी स्कूटी एक्टिवा (रंग नीला) रजिस्ट्रेशन नं0 (UP 11 CM 6462) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्पलेन्डर (HR 07 E 5094) (रंग काला) बरामद की गयी। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 420/120B/ 411 भादवि वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हमें पैसो की बहुत अधिक जरुरत थी। अपनी पैसो की जरुरुत को पूरा करने के लिये हम तीनो ने मिलकर योजना बनायी कि आशुतोष अमन को धोखे से अपने साथ रजवाहे की पुलिया पर लायेगा, जहाँ शुभम व सीटू पहले से ही मेरी मोटरसाइकिल पर मौजूद रहेगें व अमन के आने पर हम दोनो को डरा धमकाकर स्कूटी लूट लेंगें। इसी योजना के तहत आशुतोष ने अमन को फोन करके अपने घर स्कूटी से जाने को कहा और उसे गलीरा चौक पर बुलाया जहाँ से दोनो ग्राम देहरी थाना रामपुर मनिहारान चले गये। गाँव पहुँचने से पहले आशुतोष ने अमन से घर जाने के लिये मना कर दिया और वह दोनो वापस सहारनपुर की तरफ चल दिए। सहारनपुर जाते समय जब दोनो रजवाहे की पुलिया के पास पहुँचे तभी करीब 11.30 बजे स्पलेन्डर मोटरसाईकिल (HR 07 E 5094) पर सवार शुभम व सीटू द्वारा हमें रुकवाकर व धमकाकर स्कूटी लूट ली।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1.आशुतोष पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम देहरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
2.शुभम पुत्र सेहतपाल निवासी ग्राम देहरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
3.सीटू पुत्र नरेन्द्र उर्फ रीटू निवासी ग्राम देहरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

बरामदगी-

- 01 स्कूटी एक्टिवा बिना नम्बर प्लेट (रंग नीला) इन्जन नं0 JK15ED5067101
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर रंग काला रजि0नं0 (HR 07 E5094) (लूटने की घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2.व0उ0नि0 विनय शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3.उ0नि0 मुकेश शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4.उ0नि0 प्रवीन कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5.का0 2380 हरवेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांक- 14.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. **शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2- वसीम उर्फ सुक्कड पुत्र शकूर उर्फ कुद्दू निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट सहारनपुर** को ग्राम दतौली के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिनके कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 93/24 धारा 8/20/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि जो चरस पुलिस टीम द्वारा हमसे बरामद की गयी है इसे हम उत्तराखण्ड से से खरीदी थी जिसे हम आस- पास के क्षेत्रों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

1.शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2- वसीम उर्फ सुक्कड पुत्र शकूर उर्फ कुद्दू निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

510 ग्राम अवैध चरस बरामद

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 04/19 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 07/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 216/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 74/19 धारा 3/8/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 230/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।

अभियुक्त वसीम उर्फ सुक्कड का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 04/19 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 08/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 230/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 136/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर

5. मु0अ0सं0 193/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सोनू राणा कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक- 14.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे चौकिंग के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त **जैबर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को आज दिनाकं 14.05.2024 को खानकी वाली मस्जिद के पास ग्राम बुढडाखेडा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त जैबर उपरोक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 113/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त जुबैर ने पूछताछ करने पर बताया कि मै यह तमन्चा अपने दोस्तों व गांव के लोगों मे रोब जमाने के लिए तमन्चा रखता हूँ । मैने यह तमन्चा आने जाने वाले ट्रक ड्राईवर से खरीदा था, जिसका नाम पता मै नही जानता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

जैबर पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

01 देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 246 हेमन्त सिह थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण , वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.23 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा वांछित 02 अभियुक्तगण **1.सद्दाम पुत्र कुक्कु शराफत निवासी मिद्दे वाली गली के सामने कीलो कब्जे वाली गली निकट हाजी चाय वाला खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर** 2. **अजीम पुत्र शमशेर निवासी मिद्दे वाली गली निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर** सम्बन्धित **मु0अ0सं0—194/24 धारा—2/3 गैंगस्टर अधिनियम** चालानी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.सद्दाम पुत्र कुक्कु शराफत निवासी मिद्दे वाली गली के सामने कीलो कब्जे वाली गली निकट हाजी चाय वाला खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर

2. अजीम पुत्र शमशेर निवासी मिद्दे वाली गली निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मंडी स0पुर

गिरफ्तरा अभियुक्तगण सद्दाम व अजीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 364/23 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0365/23धारा-379/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0-366/23 धारा 414 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0स0-183/23 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
5.. मु0अ0स0-182/23 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में हत्या के प्रयास के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2024 को वादी राकेश कुमार पुत्र मुल्कीराम निवासी ग्राम नंगली नूर थाना देवबन्द सहारनपुर ने थाने पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.कक्कू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मेघा सकरपुर 2.अक्षय पुत्र नामालूम निवासी रोहाना 3. आशू पुत्र नामालूम निवासी लालवाला थाना सरसावा 4. अचिन पुत्र नामालूम निवासी खेडा आशा थाना देवबन्द सहारनपुर 5. पटवारी पुत्र नामालूम निवासी बाबूपुर थाना देवबन्द द्वारा एक राय होकर वादी के भतीजे निखिल को जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायरिंग करने के संबंध में थाना देवंबद पर मु0अ0सं0- 238/24 धारा 147/148/149/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अनुज उर्फ पटवारी पुत्र सोमपाल निवासी बाबूपुर हाल पता गांधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को पीडब्लूडी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मै दिनांक 06-05-2024 को निखिल के साथ मेले में गया था। निखिल से मेरा किसी बात को लेकर लडाई झगडा हो गया था। मैंने अपने दोस्तो कक्कू ,अक्षय, आशू ,अचिन को मेरे और निखिल के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया था। तभी हम सभी ने झगड़े का बदला लेने के लिए तमंचो से निखिल के घर पर जान से मारने की नीयत से फायर किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

अनुज उर्फ पटवारी पुत्र सोमपाल निवासी बाबूपुर हाल पता गांधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामनरेश वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2.का0 2183 संजू सैम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।